संख्या–भा.स. 117 / 14–2–2018–800(124) / 2018

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 08 अगस्त, 2018**

विषय :– जनपद मिर्जापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–07 (वाराणसी–हनुमना सेक्शन) किमी0 सं0–49.500 से किमी0 सं0–140.200 तक के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 113.63 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 131.0175 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 10473 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 66 / 2018 / एफसी / 327 दिनांक 07.08.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2– विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 07.08.2018 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

Data D. SO.Nodal.GO